राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मालाखेडा अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनुराग हरित (आर0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/142	11.11.2021	29- 03-2022

उनवान

01:-धनको देवी पत्नी कालूराम उम्र 48 साल जाति सैनी निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

02:-कालूराम पुत्र सोन्य उम्र 53 साल जाति सैनी निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

वादीगण

बनाम

01:-हीरालाल पुत्र कजोडराम उम्र 70 साल जाति सैनी निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

02:-बब्बलराम पुत्र रामदयाल उम्र 45 साल जाति सैनी निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

03:-तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवान का वाद विस्तृत वजूहात के साथ माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है तथा वादपत्र मे दर्ज तथ्य इस प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने योग्य है कि मौजूदा वाद मे आराजी ख0 न0 1603 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 1605 रकबा 0.29 है0, 1613 रकबा 0.44 है0 जो कि वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मे स्थित है जो खसरा नम्बरान इस वाद मे विवादित है जिसे आगे चलकर विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है वादपत्र के साथ हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–75 सलंग्न की जा रही है यह है कि वादीगण आपस मे पति–पत्नी है जो ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर के स्थायी निवासी है जो कानून मे पूर्ण आस्था व विस्वास रखते है। यह है कि ख0 न0 1718/0.40, 1719/0.07, 1720/0.07 जो वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मे स्थित है जिसके कालूराम पुत्र सोन्या, धनको देवी पत्नी कालूराम रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

काश्तकार खातेदार है उक्त खसरा नम्बरो मे वादीगण के मकानात पुख्ता बने हुये है जिनमे वादीगण की रिहायश है इससे पूर्व वादीगण के बुजुर्ग उक्त पुख्ता मकानो मे रिहायश कर शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे थे और आज मौके वादीगण काबिज रख रखे है जिसमे किसी भी दीगर सख्स का किसी भी प्रकार कोई लेना देना नही है कि ख0 न0 1614 रकबा 0.33, 1616 रकबा 0.19, 1617 रकबा 0.20, 1628/4350 रकबा 0.22, 1628/4351 रकबा 0.21 है जो वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मे स्थित है जिन खसरा नम्बरो के वादीगण रजिस्टर्ड काश्तकार खातेदार है जो मौके पर अपनी फसल गेहू, चना, जौ, कपास, इत्यिाद काफी समय से बोते चले आ रहे है वादीगण से पहले वादीगण के बुजुर्ग उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करते थे और वादीगण मौके पर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्ण तरीके से करते चले आ रहे है यह है कि वादीगण अपने मकानो मे निकलकर ख0 न0 1603, 1605, 1613 मे से निकलकर अपने खेतो मे आते जाते है जिससे स्पष्ट रूप से साबित व प्रमाणित है कि वादीगण का रास्ता ख0 न0 1603 व 1605 से होकर वादीगण के खेतो तक वादीगण से पहले वादीगण के बुजुर्ग उक्त रास्ते से काफी समय से आते जाते है और वादीगण के पास अपने खेतो मे आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते से होकर वादीगण अपने खेता का उपयोग–उपभोग पिछले काफी समय से करते चले आ रहे है जिसमे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नही है कि प्रतिवादीगण वादीगण से बराय रंजिश रखते है इसलिये प्रतिवादीगण ने ख0न0 1603 मे वादीगण के आने जाने मे रोक लगा दी जिन्होने वादीगण को एलानिया इस बात की धमकी दी कि हम ख0 न0 1603, 1605 मे से तुमको नही निकलने देगे जबकि उक्त रास्ता पिछले सैकडो सालो से बना हुआ है जिसमे प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप नही है। यह कि दिनॉक 07–11–2021 को प्रतिवादीगण एकराय हो गये और उन्होने वादीगण को उक्त रास्ते से खुद के खेतो मे जाने नही दिया अगर प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त रास्ते से वादीगण के खेतो मे जाने नही दिया और रास्ता बन्द कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी और नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी क्योकि वादीगण की रिहायश से वादीगण के खेतो तक एकमात्र रास्ता ख0 न0 1603 से होकर जाता है इसलिये प्रतिवादीगण को मौजूदा वाद करना लाजमी हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण को दावा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत व न्यायोचित है जिसके लिये वर्तमान वाद पेश है यह है कि वर्तमान प्रकरण मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी यह तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित होते है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.08 है0, ख0 न0 1605 रकबा 0.29 है0, ख0 न0 1613 रकबा 0.44 है0 जो कि वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर स्थित है जिसमे से प्रतिवादीगण, वादीगण के खुद के खेतो में रास्ते मे से आने जाने

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

कोई रूकाबट, मजाहमत पैदा ना करे, ना ही वादीगण को अपनी कृषि यन्त्रो को लाने ले जाने मे बाधा कारित करे, नाही प्रतिवादीगण ख0 न0 1603, 1605, 1613, मे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करे तथा प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे, पाबन्द रहे बाज आवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पैरा स0 1 गलत है अस्वीकार है वादीगण को उक्त दावे मे सफल होने की कोई आशा नही है क्योकि उक्त दावा गलत तथ्यो एंव मनगढन्त तथ्यो के आधार पर विरचित किया गया है। यह है कि पैरा स0 2 लगायत 05 रिकार्डेड होने के कारण स्वीकार है लेकिन उक्त आराजी किसी प्रकार से विवादित नही है क्योकि सभी काश्तकार मौखिक रूप से आपसी सहमति के कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। यह है कि पेरा स0 6 गलत एंव मनगढन्त तथ्यो के आधार पर रचित होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थी स0 1 व 2 का वादीगण को किसी प्रकार से उक्त आराजी मे कब्जा काश्त करने मे रूकावट एंव मजाहमत पैदा नही करते है यह है कि पैरा स0 7 गलत एंव मनगढन्त तथ्यो के आधार पर रचित होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थी स0 1 व 2 ने कभी किसी प्रकार से प्रार्थीगणो का रास्ता नही रोका हुआ है नाही उक्त आराजी मे मौके पर व रिकाडेड रास्ता है यह है कि पैरा स0 8 गलत एंव मनगढन्त तथ्यो के आधार पर रचित होने के कारण अस्वीकार है दिनॉक 07–11–2021 की घटना गलत व झूठी है ऐसा कोई झगडा हुआ ही नही है अप्रार्थी स0 1 व 2 ने किसी प्रकार से प्रार्थीगणो का रास्ता अवरूद्व नही किया है और नाही उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई रास्ता है यह है कि पैरा स0 9 अस्वीकार है गलत है क्योकि ऐसा कोई घटना घटी नही जिससे प्रार्थी को हानि हुई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव से अन्य निम्न कथन प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी स0 1 व 2 की आराजी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा मे स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो अपनी अपनी कब्जा काश्तकारी करते है प्रार्थीगण अप्राथीगण की आराजी एक दूसरे की आराजी की सीमा लगी हुई है यह है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 1614, 1616, 1617, 1626, 1628/4351, 1628/4350, 1622 मे से अप्राथीगणो को अपनी आराजी कब्जे काश्तकारी को रास्ता रिकॉर्ड देता है अप्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 1605, 1606, 1613, 1612 मे से प्रार्थीगण को रास्ता देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र जबाव पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को गलत एंव मनगढन्त तरीके से रचित कर पेश किया गया है इसलिये उक्त दावे को मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ख0 न0 1603, 1605, 1613 मे रिहायश व खेती की जा रही है प्रार्थी को आने जाने का एक मात्र

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

ता है उक्त रास्ता पूर्व से संचालित है उसको बन्द किया जा रहा है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्राथीगणो का आराजी खसरा नम्बर 1603, 1605, 1613 से कोई लेना देना नही है प्रार्थीगणो को आराजी काश्त हेतु रास्ता मौजूद है धारा 188 अन्तर्गत दावा किसी अन्य खातेदार की आराजी पर नही किया जा सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मेन्टेवल नही है अगर पूर्व से कोई रास्ता संचालित है तो उसके लिये धारा 251 के तहत तहसीलदार को आवेदन करना चाहिये अन्य खातेदार की आराजी पर स्थगन पत्रावली मेन्टेलवल नही है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें

हमने पत्रवली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1 **प्रथम दृष्टया केस** :– न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–75 खाता स0 585, 532, 854 वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा पेश की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नही है। जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–75 से बखूबी होती है। दावे में साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

2 **सुविधा का सन्तुलन** :– अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। संलग्न राजस्व दस्तावेजात से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी काफी सालों से विवादित आराजी मे से आते और जाते रहे है उक्त आराजीयात मे से एक मात्र रास्ता है किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वह विवादित आराजी पर रास्ता था अथवा है। प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इस प्रकार सुविध का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

3 **नापूर्ति क्षति** :– अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी विवादित आराजी से गैर वास्ता शख्स है। अन्य अनरिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के हक में पाये जाते है तो नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थीगण को है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०